

FORM No. 1H
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम डीग

सायल नं०

बंनोम

19-12-14

किरम मुकदमा

/14

अन्तर्गत धारा 212 आरटी0एक्ट0 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की में जारी हु
19-12-14	<p>सायल मय वकील उपस्थित। सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी0एक्ट0 1955 पर सायल के वकील की एक पक्षीय वहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर में। सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में कयास होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा निरुद्ध गैरसायल जारी की जाती है कि वह आगामी पेशी दिनांक 16-1-15 तक विवादित मासुजी खसरा नं० 1213/0-19, 1214/0-16 हेतु शपथ करे</p>	
	<p>बाकै ग्राम / कस्बा सायल के रेकार्ड की यथारिथति बनाये रखे तथा रहन व मुकदमा के कबजे का रख की भूमि पर सायल के कबजे का रख की भूमि में कोई उज्र हो तो वह आगामी पेशी दिनांक 16-1-15 को पेश करें। सायल की तलबी जरिये नोटिस / रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावल दिनांक 16-1-15 को पेश हों।</p>	
19-12-14	<p>उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतमंदर)</p> <p>सायल के मुकदमा के अन्तर्गत धारा 212 आरटी0एक्ट0 1955 पर सायल के वकील की एक पक्षीय वहस सुनी गयी। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर में। सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में कयास होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा निरुद्ध गैरसायल जारी की जाती है कि वह आगामी पेशी दिनांक 16-1-15 तक विवादित मासुजी खसरा नं० 1213/0-19, 1214/0-16 हेतु शपथ करे</p>	

दुलीचंद मीना
उपखण्ड अधिकारी
डीग